न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- श्री मूलचन्द लूणियां (आर0 ए0 एस0)
मुकदमा नं0 :- 658/2018
दायर दिनांक :- 08.10.2018

कार्यालय सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा

उनवान

1. बसराम पुत्र श्रीया जाति गुर्जर ग्राम भाण्डारेज ढाणी पीलारामा तहसील भांडारेज जिला दौसा।

– (वादी)

बनाम

1. तुलसा देवी पत्नि जीयालाल
2. रामजीलाल पुत्र हीरालाल
3. रमेश पुत्र टुण्डा
4. जयसिंह पुत्र टुण्डाराम

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम भाण्डारेज मोड तहसील भाण्डारेज जिला दौसा।

5. चन्दोदेवी पत्नि बाबूलाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी बाढ़ बगीची बांदीकुई हाल निवासी भाण्डारेज मोड तहसील भाण्डारेज जिला दौसा।
6. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भांडारेज जिला दौसा, राज0।
7. उप पंजीयक दौसा तहसील भाण्डारेज जिला दौसा।

– (प्रतिवादीगण)

उपस्थित अधिवक्ता : 1. श्री चरण सिंह डोई (वादी)
2. श्री उम्मेद सिंह गुर्जर (प्रतिवादी सं. 1 व 5)

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रकरण संख्या: 658/2018
बसराम बनाम तुलसा वगै.
निर्णय दिनांक : 09.05.2025

वाद तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

वकील मय वादी ने एक वाद दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम भाण्डारेज पटवार हल्का भाण्डारेज भू0अभि0नि0 क्षेत्र भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज में स्थित भूमि आराजी खसरा नं0 3478 रकबा 0.17 है0, ख0न0 3479 रकबा 0.69 है0, खसरा नं0 3480 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 3487 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 3489 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.09 है0, भूमि स्थित है। उक्त आराजियात भूमि के 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार वादी है व शेष हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त ग्राम में ही खसरा नम्बर 3488 रकबा 1.35 है0 भूमि है जिसकी खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 के नाम दर्ज है।

उक्त वाद में वकील वादी ने वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया है:-

1. यह है कि वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 बाबत तकास्मा इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 3478 रकबा 0.17 है, खसरा नम्बर 3479 रकबा 0.69 है0, खसरा नम्बर 3480 रकबा 0.18 है, खसरा नम्बर 3487 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 3489 रकबा 0.03 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.09 है0 एवं भूमि आराजी खसरा नम्बर 3488 रकबा 1.35 है का तकास्मा बहामी तकास्मा जमाबन्दी में दर्ज हिस्से व कब्जे के अनुसार किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिक०र्ड में अलग अलग खातेदारी दर्ज की जाकर अलग अलग पर्चा पासबुक जारी की जावे व लगान कायम किया जावे।

2. यह है कि वाद पत्र वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध बाबत स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि वादी एवम् प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 5 के मध्य जब तक उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि का विधिवत तकास्मा नहीं हो तब तक उक्त भूमि के राजस्व रिक०र्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखते हुए वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का दखल मदाखलत पैदा करने से किसी दीगर को रहन बय हस्तानान्तरित करने से स्वयं प्रतिवादीगण एवम अपने परिवारजन नौकर चाकर एजेन्ट सर्वेन्ट अधिकारी कर्मचारी एवम हर प्रकार से हमेशा-हमेशा के लिए प्रतिबन्धित रहें तथा प्रतिवादी सं0 6 को पाबन्द फरमाया जावे कि वो उक्त वर्णित विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रतिवादी सं0 7 को प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वे प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 5 के द्वारा प्रस्तुत होने वाले किसी भी रहन बय विक्रय के हस्तानान्तरण के प्रलेख का पंजीयन नहीं करे।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

कार्यालय सहायक कलक्टर दौसा, जिला

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सम्मन जारी किये गये। नोटिस तामील होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 5 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 13.01.2025 को अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने न्यायालय में तकास्मा हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने के लिए निवेदन किया। वादी का वादपत्र प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.01.2025 को जारी की गयी तथा तहसीलदार भांडारेज को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 3478 रकबा 0.17 है, खसरा नम्बर 3479 रकबा 0.69 है0, खसरा नम्बर 3480 रकबा 0.18 है, खसरा नम्बर 3487 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 3489 रकबा 0.03 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.09 है0 एवं भूमि आराजी खसरा नम्बर 3488 रकबा 1.35 है0 वाके ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सरस-नरस के आधार पर मा॰ राजस्व मण्डल राज॰ अजमेर के पत्रांक 10546 दिनांक 05.10.2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तीन प्रतियों में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जावें। तहसीलदार भाण्डारेज ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/321 दिनांक 25.02.2025 द्वारा कुर्रेजात न्यायालय के समक्ष पेश किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत आराजी का तकास्मा किये जाने एवं प्रश्नगत आराजी के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 अनुसार ग्राम भांडारेज तहसील भांडारेज स्थित प्रश्नगत आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्र्रम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 3478 रकबा 0.17 है, खसरा नम्बर 3479 रकबा 0.69 है0, खसरा नम्बर 3480 रकबा 0.18 है, खसरा नम्बर 3487 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 3489 रकबा 0.03 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.09 है0 एवं भूमि आराजी खसरा नम्बर 3488 रकबा 1.35 है0 का तकास्मा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य निम्नानुसार किया जाकर उभय पक्षों को एक-दूसरे के क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है:-

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रकरण संख्याः 658/2018
बसराम बनाम तुलसा वगै.
निर्णय दिनांक : 09.05.2025

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	कि0 जमीन	लगान
1.	बसराम पुत्र श्रीया हिस्सा- पूर्ण, जाति गुर्जर **रंग - लाल**	3478 3479 3480/2	0.1700 0.6900 0.1600	चाही 3 जाव 3 बंजड़	3.88 15.0 0.40
	योग	**किता 03**	**1.0200**	**-**	**19.28**
2.	चंदोदेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा- पूर्ण, जाति गुर्जर **रंग - हरा**	3480/1 3488/2	0.0200 0.1900	बंजड़ बंजड़	0.05 0.38
	योग	**किता 02**	**0.2100**	**-**	**0.43**
3.	तुलसादेवी पत्नि जीयालाल हिस्सा- 1/4, रामजीलाल पुत्र हीरालाल, रमेश पुत्र टुंडा, जयसिंह पुत्र टुंडाराम हिस्सा 1/4 जाति बैरवा **रंग - गुलाबी**	3488/1 3487 3489	1.16 0.02 0.03	बंजड़ जाव 3 चाही 3	3.00 0.25 0.50
	योग	**किता 03**	**1.21**	**-**	**3.75**

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में दर्ज पक्षकारान की खातेदारी हिस्से व कुर्रेजात रिपोर्ट का मिलान किया गया राजस्व रिकार्ड में कुर्रेजात रिपोर्ट खसरा नम्बर 3478 रकबा 0.17 है, खसरा नम्बर 3479 रकबा 0.69 है0, खसरा नम्बर 3480 रकबा 0.18 है, खसरा नम्बर 3487 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 3489 रकबा 0.03 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.09 है0 एवं भूमि आराजी खसरा नम्बर 3488 रकबा 1.35 है0 में पक्षकारान के खातेदारी हिस्से के अनुसार सही पायी गई है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य है।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रकरण संख्याः 658/2018
बसराम बनाम तुलसा वगै.
निर्णय दिनांक : 09.05.2025

:: आदेश ::

वाद वादी तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा पेश कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस दिनांक 25.02.2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 3478 रकबा 0.17 है, खसरा नम्बर 3479 रकबा 0.69 है0, खसरा नम्बर 3480 रकबा 0.18 है, खसरा नम्बर 3487 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 3489 रकबा 0.03 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.09 है0 एवं भूमि आराजी खसरा नम्बर 3488 रकबा 1.35 है0 भूमि वाके ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज के खातेदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य तकास्मा किया जाकर अलग-अलग खाताबन्दी की जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व नक्शा में तितम्बा काटे जाकर अलग-अलग लगान कायम करने के आदेश दिये जाते है। कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस पेश दिनांक 25.02.2025 इस अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावेगा।

तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार तकास्मा तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण दर्ज किया जावे। निर्णयानुसार पर्चा अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार भाण्डारेज को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा खिलवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
सहायक कलक्टर, दौसा
दौसा, जिला दौसा